दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 04/12/2018 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भ0महा0पी0जी0का0, पावानगर, कुशीनगर	सदस्य
10	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
11	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति जी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

1. (क) एल0एल0बी0 द्वितीय वर्ष–2018, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के भूतपूर्व के कुछ छात्रों ने आवदेन किया है कि एल0एल–बी0 द्वितीय वर्ष–2018 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर वर्ष–2018 की स्पेशल परीक्षा करायी गई जो क्रमानुसार नहीं करायी गई (चतुर्थ सेमेस्टर पहले कराया गया एवं तृतीय सेमेस्टर बाद में कराया गया), भूतपूर्व छात्र होने के कारण इसकी इन्हें जानकारी नहीं हो पाई, जिसके कारण चतुर्थ सेमेस्टर की कुछ प्रश्नपत्रों की परीक्षा छूट गई। ऐसे छात्रों ने वर्ष–2019 में एलएल–बी0 द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) की भूतपूर्व छात्रों की होने वाली परीक्षा में परीक्षाफार्म भरने हेतु मांग की है, भूतपूर्व अभ्यर्थियों को वर्ष–2019 में परीक्षाफार्म भरने के संदर्भ में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित भूतपूर्व छात्रों को एल0एल–बी0 द्वितीय वर्ष–2018 के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को वर्ष–2019 में होने वाली परीक्षा में सम्मिलित करा लिया जाय तथा इसे भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।

   (ख) अभिषेक शुक्ला ने अपने प्रत्यावेदन द्वारा अवगत कराया है कि मैं एम0एस–सी0 (रसायन शास्त्र) (तृतीय सेमेस्टर) पुराना बैच अनुक्रमांक–1837117740001, वर्ष–2018 के तृतीय प्रश्नपत्र में बैकपेपर की परीक्षा जून 2018 में केन्द्र–नेशनल पी0जी0 कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर से सम्मिलित हुआ। सेमेस्टर प्रणाली के पुराने अध्यादेश के अनुसार संगत सेमेस्टर में परीक्षा न देने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है, परीक्षाफल घोषित करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा पी--7, जांच पत्र, प्रवेश पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। तदक्रम में छात्र का परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अभिषेक शुक्ला, एम0एस–सी0 (रसायन शास्त्र) (तृतीय सेमेस्टर) पुराना पाठ्यक्रम वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1837117740001, सहित इस तरह के सभी छात्रों का बैकपेपर का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

   (ग) मयंक सिंह कुशवाहा ने प्रत्यावेदन किया है कि मैं वर्ष–2018 में बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1810121060084, केन्द्र–बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी, देवरिया का छात्र रहा हूँ, मुझे जो अंकतालिका निर्गत की गयी उसमें मैं अनुत्तीर्ण था, स्कूटनी द्वारा मुझे बैक की अंकतालिका निर्गत हुई है, जबकि अंकसुधार/बैकपेपर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, अंकसुधार/बैकपेपर की परीक्षाएं समाप्त होने के कारण मेरा एक वर्ष बर्बाद होगा। वर्ष–2019 की होनी वाली वार्षिक परीक्षा में जिस विषय में (रसायन विज्ञान में) बैक लगा है, मात्र उस विषय (रसायन विज्ञान) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय, तदक्रम में विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि छात्रहित के दृष्टिगत मयंक सिंह कुशवाहा, वर्ष–2018 में बी0एस–सी0 तृतीय वर्ष–2018, अनुक्रमांक–1810121060084, केन्द्र–बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी, देवरिया को वर्ष–2019 की होने वाली मुख्य परीक्षा के साथ रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा कराकर बैक पेपर के रूप में परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय, एवं इसे नजीर न माना जाय।

(घ) आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई) के तहत आई0 अहमद, धम्माल, गोरखपुर के द्वारा किए गये आनलाईन किया गया शिकायती प्रतिवेदन के अनुसार बी0एस–सी0 भाग दो, वर्ष–1985, अनुक्रमांक–68488, केन्द्र–शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ से अफाक अहमद को अंक पत्र निर्गत किया गया है। विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष में उपलब्ध बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1985, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ की सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–68488, से सम्बन्धित पेज उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय से प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ को पत्र प्रेषित कर उक्त अनुक्रमांक को परीक्षाफल के सम्बन्ध में आख्या सहित महाविद्यालय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति मंगायी गयी है। प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 16/10/2018 में उल्लेख किया गया है कि *"प्रकरण पुराना है सारणीयन पंजिका को देखने में ही कटिंग स्पष्ट होती है तथा उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है और विश्वविद्यालय का कोई आदेश भी उपलब्ध नहीं है।"*

महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में अनुक्रमांक–68488, में प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के कॉलम में पूर्व से अंकित प्राप्तांकों को काटकर अंक संशोधित किया गया है तथा सम्पूर्ण योग को भी संशोधित किया गया है तथा परीक्षाफल द्वितीय श्रेणी संशोधित कर लघु हस्ताक्षर किया गया है। सारणीयन पंजिका में महाविद्यालय स्तर से संशोधन करके अंकपत्र निर्गत किया गया है इसलिए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रकरण की जांच महाविद्यालय स्तर से किया जाना उचित होगा।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अफाक अहमद, अनुक्रमांक–68488, बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1985, केन्द्र–शिबली नेशनल पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के परीक्षाफल सारणीयन पंजिका में महाविद्यालय स्तर से परीक्षाफल में संशोधन करके लघु हस्ताक्षर किया गया है, तत्समय के प्राचार्य, लिपिक/चेकर द्वारा अंकतालिका पर हस्ताक्षर करके महाविद्यालय स्तर से ही अंकतालिका निर्गत की गयी है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय स्तर से एक त्रि–सदस्यीय समिति का गठन करके, प्राकृतिक न्याय के तहत अभ्यर्थी के पक्ष को सुनकर जांचोपरान्त निर्णय लेकर प्रकरण पर निर्णय लेते हुए कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराने हेतु प्राचार्य, शिबली नेशनल कालेज, आजमगढ़ को संदर्भित किया गया।

(ङ) माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा ने अवगत कराया है कि वे माया तिवारी पत्नी श्री अजय प्रताप तिवारी के रूप में मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी देवरिया से एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1996, अनुक्रमांक–13207 एवं एम0ए0 (हिन्दी) द्वितीय वर्ष–1997, अनुक्रमांक–10578 से परीक्षा उत्तीर्ण है। अभ्यर्थीनी ने प्रत्यावेदन किया है कि अंकतालिका/सारणीयन पंजिका में मेरा नाम माया तिवारी पत्नी अजय प्रताप तिवारी अंकित है, जबकि मेरा नाम माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा होना चाहिए, सारणीयन पंजिका में मेरे नाम का संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय। साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक की अंकतालिका/डिग्री, पैन कार्ड, चुनाव आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पारिवार रजिस्टर की छायाप्रति एवं शपथपत्र आदि संलग्न किया है, नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1996, अनुक्रमांक–13207 एवं एम0ए0 (हिन्दी) द्वितीय वर्ष–1997, अनुक्रमांक–10578, केन्द्र–मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटपाररानी देवरिया से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में माया तिवारी पत्नी श्री अजय प्रताप तिवारी के स्थान पर माया मिश्रा पुत्री श्री तारकेश्वर मिश्रा के रूप में संशोधन कर दिया जाय।

(च) पंकज कुमार चौहान, शिवेन्द्र प्रताप राम, मुकेश कुमार भारती, दीपू साहनी व दिनेश कुमार, एम0एस–सी0 (भौतिकी) सत्र 2017–18 के भूतपूर्व छात्रों के प्रत्यावेदन दिनांक 06/08/2018 एवं 01/11/2018 के क्रम में विचार करते हुए परीक्षा सामान्य कार्यालय की दिनांक 20/11/2018 की आख्या में स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त छात्र सत्र 2016–17 में एम0एस–सी0 (भौतिकी) में प्रवेशित है, एवं प्रथम सेमेस्टर अनुत्तीर्ण हो गये हैं, तथा पुनः भूतपूर्व के रूप में 2017–18 में परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हो गये हैं। अतः सत्र 2018-19 में एम0एस–सी0 (भौतिकी) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः भूतपूर्व छात्र के रूप में फार्म भरने हेतु नियमानुसार अर्ह नहीं है। उक्त टीप कार्यालय अधीक्षक (परीक्षा) द्वारा हस्ताक्षरित है जिसे परीक्षा नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षर करके दिनांक 20/11/2018 को कुलपति जी को प्रेषित किया गया। जिसपर माननीय कुलपति जी द्वारा दिनांक 26/11/2018 द्वारा **अवलोकित करते हुए परीक्षा समिति में रखने हेतु** निर्देशित किया गया है।

(सत्र 2016–17 हेतु लागू अध्यादेश में किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में एक अवसर संस्थागत, एक अवसर बैक तथा एक अवसर भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था है।)

उपरोक्त्त छात्रों के परीक्षाफ़ल का विवरण निम्नवत है–

(i) पंकज कुमार चौहान, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010025 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए।
सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010004 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(ii) शिवेन्द्र प्रताप राय, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010035 से परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा परीक्षाफल बैक घोषित हुआ। सत्र 2017–18 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ एम0एस–सी0 भौतिकी प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा बैकपेपर के रूप में दिये जिसमें अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010001 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(iii) दीपू साहनी, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010012 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010002 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(iv) दिनेश, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010014 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010005 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

(v) मुकेश कुमार भारती, एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर सत्र 2016–17 में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में विश्वविद्यालय केन्द्र से अनुक्रमांक–1717050010021 से परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुए। सत्र 2017–18 की परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में अनुक्रमांक–1837050010003 से परीक्षा में सम्मिलित होकर पुनः अनुत्तीर्ण हैं।

तदनुसार परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षा हेतु संशोधित अध्यादेश 2016 के अनुसार किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर में एक अवसर संस्थागत, एक अवसर बैक तथा एक अवसर भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की व्यवस्था है उपरोक्त समस्त छात्रों को भूतपूर्व के रूप में परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी छात्र अनुत्तीर्ण हैं। अध्यादेश के अनुसार पंकज कुमार चौहान, शिवेन्द्र प्रताप राय, दीपू साहनी, दिनेश एवं मुकेश कुमार भारती को एम0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर में पुनः भूतपूर्व अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराना नियमानुकूल नहीं है।

(छ) विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रो0 विनोद कुमार सिंह का को आप्टेड सदस्य के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु संख्या–(9) "Such other teachers not exceeding two in number as may be coopted by the Examination committee to serve as members of the Committee for a period of one year." के क्रम में परीक्षा समिति में एक सदस्य को–आप्ट करने पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष को, शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में परीक्षा समिति के सदस्य के लिए एक वर्ष हेतु कोआप्ट किया।

(ज) वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 में कुछ महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों को आवंटित विषयों के जगह आनलाईन परीक्षाफार्म में त्रुटिवश अन्य विषय अंकित हो जाने के कारण परीक्षा केन्द्रों पर आनलाईन परीक्षाफार्म/प्रवेश पत्र/जांचपत्र में अंकित विषय के इतर (विषय परिवर्तित कर) मूल विषय में परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्राध्यक्षों द्वारा सम्पन्न करा ली गयी है। महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विषय परिवर्तन करने की संस्तुति के साथ सम्बन्धित विषयों की प्रमाणित पी–7 की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षाफल घोषित करने का अनुरोध किया गया है। तदक्रम में विचार।

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्राचार्य की आख्या/संस्तुति के आधार पर पी–7 के अनुसार मूल विषय से परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों का विषय सारणीयन पंजिका में परिवर्तित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति